तारः सहशिक्षण

दूरभाष :– 26861753

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद्

3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया,
हौज खास, अगस्त क्रांति मार्ग
नई दिल्ली – 110016

संख्या :– 4–2/2017–हिंदी

दिनांक :– 06.07.2017

कार्यसूची मद संख्या : 3 (क)II (पैरा 2)

अंतर कार्यालयीन

परिषद की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 27.06.2017 को संपन्न हुई 115वीं बैठक की कार्यसूची मद सं0 3 (क)II के तहत चर्चा करते हुए जहां एक ओर सभी अनुभागों द्वारा हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिए जाने की सराहना की गई वहीं दूसरी ओर राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत जारी किए जाने वाले सभी कागजातों को द्विभाषिक रूप में (हिंदी एवं अंग्रेजी में साथ–साथ) ही जारी किए जाने का सुझाव दिया गया क्योंकि किसी भी प्रकार की अवहेलना के लिए इन दस्तावेजों/कागजातों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

उपर्युक्त के मद्देनजर आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि आप हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी मे ही देना जारी रखें तथा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत जारी किए जाने वाले 14 कागजात यथा संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में (हिंदी एवं अंग्रेजी में साथ–साथ) जारी करेंगे ताकि इस संबंध में निर्धारित नियम के उपबंधो का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। आपके ध्यान में यह भी लाया जाता है कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

मोहन कुमार मिश्रा

(मोहन कुमार मिश्रा)
सचिव

संलग्नकः उपर्युक्त।

सभी अधिकारी
राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद,
नई दिल्ली।

संलग्नक

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 27.06.2017 को संपन्न हुई 115वीं बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या 3 (क) II का उद्धरण।

समिति ने सभी अनुभागों द्वारा हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिए जाने की सराहना करते हुए हिंदी में प्राप्त सूचनार्थ पत्रों की पावती भेजते हुए हिंदी में उत्तर दिए गए पत्रों की संख्या में वृद्धि लाए जाने की अनुशंसा भी की।

समिति द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत जारी किए जाने वाले सभी कागजातों को द्विभाषिक रूप में (हिंदी एवं अंग्रेज़ी में साथ–साथ) ही जारी किए जाने का सुझाव दिया गया क्योंकि किसी भी प्रकार की अवहेलना के लिए इन दस्तावेजों/कागजातों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

कार्रवाई : सभी अनुभाग/अनुभाग अधिकारी